फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (पाली)
जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– रतनगिरी के का.मु. मुकेशगिरी वगैरह **बनाम** :–**अप्रार्थी** :– जीवराज पुत्र हरलाल वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. 21 /सन 2020

ब हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
6.20	वकील प्रार्थीगण उपस्थित।	

वकील प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खातीखेड़ा पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण मे खसरा नम्बर 252 रकबा 13–10 बीघा आयी हुई हैं। उक्त आराजी मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 03 का 3/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 01 व 02 का 1/4 हिस्सा हैं। यानि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 03 का 3रु4 मे से 1/2 – 1/2 बराबर हिसा आता हैं। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त हैं। मौके पर सहमति से पक्षकारों के बीच पिछले कई वर्षो से बंटी हुई है लेकिन भूमि के बंटवाड़े का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज न होकर सामलाती ही हैं।अप्रार्थीगण इस भूमि के माप चौंप सीमा व माठ को लेकर प्रार्थीगण से विवाद करते हैं, कब्जे काश्त में दखलदांजी करते हैं व इस आराजी में से बिना बंटवाड़ा करवाये ही अन्य को बैचान करने पर आमदा हैं। सामलाती भूमि का बंटवाड़ा होने तक उक्त आराजी में माफिक हिस्से अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से में काश्त करे काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावें एवं फसल बोवें तो अप्रार्थीगण किसी तरह से दखलदांजी नही करे, बैचान रहन आदि नही करें, किसी प्रकार से कच्चा पक्का निर्माण नही करें अप्रार्थीगण को जरिये मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंद किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायलान बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। 413 27/6/2020

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर एकपक्षीय बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत हो रहा हैं। अतः आगामी पेशी तक अप्रार्थी संख्या 03 वादीगण के हक हिस्से एवं काश्त में दखलदांजी न करें, जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 03 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा खातीखेड़ा पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण मे खसरा नम्बर 252 रकबा 13–10 बीघा आयी हुई हैं। आगामी पेशी तक अप्रार्थी संख्या 03 वादीगण के हक हिस्से एवं काश्त में दखलदांजी न करें, जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 20.08..2020 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

30/6/20 मूल वाद में वकील नायलान द्वारा पत्रावली तलब कर वाद विड्रोल का प्रा. पत्र पेश करने से पत्रा. आज पेश हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि इस प्रा. पत्र से सम्बद्ध मूल वाद जरिये विड्रोल खारिज होने से अब इस प्रा. पत्र में कोई कार्यवाही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की त... जारी हुए
	अपेक्षित नहीं रहने अपति प्रभावहीन होने से प्रार्थीगण का उक्त प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा। मुताबिक जाब्ता हो। SDO	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.07.02 17:27:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: